



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820

E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./मा.चि./1194
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2018

वनमण्डलाधिकारी/नोडल अधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act. 1980 proposed for 200KV DCDS jagdalpur- barsoor transmission line, area- 70.782 ha. -regarding.

पंजीयन क्रमांक / FP/CG/TRANS/23475/2017

- संदर्भ :-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक F.No. FC-III/CH/-25/2018-NGP/3302 Date 21-02-2018.
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक / 684 दिनांक 05.03.2018।

-00-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के संदर्भित पत्र द्वारा 10 बिन्दुओं में अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा जानकारी इस कार्यालय में दिनांक 09/03/18 को प्रेषित की गई है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क.	आपत्ति	निराकरण
i.	Name of Signing authority has not been mentioned in Part-II (Bastar Forest Division) and Part-III of Form-A. Further date of Submission has not been mentioned in Part-I and Part-II (Dantewada Forest Division).	वनमंडलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर का Form-A Part-II में हस्ताक्षर अंकित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
ii.	Detail of area available for plantation of dwarf specie, preferably medicinal in the clearnce available under the conductor and scheme of plantation has not been provided in the proposal.	प्रस्ताव में कंडक्टर के दोनों ओर औषधीय वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया गया है।
iii.	Part-I submitted online mentioned the period for which diversion is sought as 0 years. Exact period for which diversion is being sought by the User Agency should be indicated by the User Agency and submitted to the Regional Office.	आवेदक विभाग द्वारा Form-A Part-I में ऑनलाईन में 0 के स्थान पर सुधार कर 50 वर्ष अंकित किया गया है।
iv.	Details of survey numbers pertaining to the non-forest land have not been provided. the same needs to be submitted along with certificate from the DCF concerned that survey number pertaining to the non- forest land does not falls into the deemed forest category on which of Forest. (Conservation) Act, 1980 are applicable.	प्रस्तावित गैर वनभूमि, वन की श्रेणी में नहीं आता है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है। परन्तु निर्देशानुसार गैर वन भूमि का सर्वे नंबर का राजस्व विभाग से सत्यापन कराकर मूलतः संलग्न है।
v.	Map, depicting the alterntive alignments explored by the User Agency has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित मानचित्र तथा 03 विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण प्रस्ताव में कंडिका क्र/43 संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।

vi.	Certificate from the DCF concerned regarding location of the project outside the PAS has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत लाईन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजर रही है। परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में आता है।
vii.	Cost-Benefit analysis has to be done as per MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017 State Government may be asked for Submission of same as per the MoEF&CC latest guideline dated 01.08.2017.	नवीनतम दिशा निर्देशानुसार COST BENEFIT ANALYSIS प्रस्ताव में प्रेषित किया गया है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।
viii.	It has been mentioned that proposed alignments is passing through the area within 10 km buffer from kanker National Park. Hence, comments of PCCF, Wildlif may be obtained regarding any adverse impact on local wildlife due to proposed tranmission line.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा) सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक छ.ग. रायपुर द्वारा उनके पत्र क्र/248 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रस्ताव में अभिमत दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के 10 कि.मी. की परिधि में पार्क बाउण्ड्री से होकर गुजर रही है, जिससे पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों को नुकसान की संभावना नहीं है। सहपत्र सहित Part I,II,III की छायाप्रति संलग्न है।
ix.	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis has not been provided.	प्रस्ताव में कंडिका क्रमांक/7 Form IV 1. Project Detail (VI) में रोजगार उत्पन्न होने का विवरण दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
x.	Copy of undertaking from the User Agency and maps showing the alternate alignment by passing the forest land in accordance with the MoEF&CC's Guidelines dated 07.01.2013 has not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के लिये वन भूमि की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में अन्य विकल्पों का आवेदक संस्थान द्वारा पता लगाया गया है, किन्तु कोई भी विकल्प नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, जो प्रस्ताव में कंडिका क्र/10 में संलग्न है। पुनः छायाप्रति संलग्न है।

अतः वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2018

पृ.क्रमांक/मा.चि/1195
प्रतिलिपि:-

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कार्यपालन अभियन्ता 400 के. व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.रा. वि.पारे. क. मर्यादित कांगेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

Received

